

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
झारखण्ड, रांची।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रांची, दिनांक:- 04/10/2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अन्तर्गत Renovation of two intake in Damodar river at Jamadoba योजना हेतु कुल राशि रु० 96,05,000/- (छियानवे लाख पाँच हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद की योजनाओं के चयन हेतु गठित चयन समिति द्वारा दिनांक-01.10.2018 को झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अन्तर्गत Renovation of two intake in Damodar river at Jamadoba का चयन किया गया है।

2. उक्त योजना हेतु तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर तकनीकी सदस्य, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन की राशि रु० 96,05,000/- (छियानवे लाख पाँच हजार रुपये) मात्र की योजना पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. तकनीकी सदस्य, झामाडा, धनबाद द्वारा उक्त योजना की निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

Renovation of two intake in Damodar river at Jamadoba		
RECAP		
Sl. No.	Description of Items	Estimate Value
1	Replacement of RAW water pipe line valves	8.95
2	Repairing of Pump panels in control room located near old intake	7.8
3	HiraMoti-New one nos of pump of 3 MGD	32.60
4	New NRV of 24" size for 275 hp existing pump (6 nos)	18.27
5	Existing pump motor repairing	0.88
6	Installation of new chain pulley (5 tone capacity) & Trolley for Hira	2.43
7	Repairing Four number Foot valve of 24" size for old intake well	5.60
8	New MS Bend of 30" replacement RAW water pipe line	0.65
9	Pump repairing of old intake well with base plate (Capacity 6 MGD)	4.37
10	<b>Total net cost</b>	<b>81.54</b>
11	Add 1% Labour Cess	0.82
12	Add 1% Contingencies Charges	0.82
13	Add for GST 12%	9.78
14	Add for Consultancy Charges 1.75%	1.43
15	Add for Project Management Charges 2.05%	1.67
16	<b>Grand Total</b>	<b>96.05</b>

4. प्रबंध निदेशक, माडा द्वारा उक्त योजना का कार्यान्वयन बाजार फीस मद में नगरीय सुविधाएँ, अवसंरचनाओं और विपणन सुविधाएँ हेतु प्राधिकार के पी०एल० खाते में संधारित राशि से किया जायेगा।
5. योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से ससमय सुनिश्चित कराया जायेगा।
6. योजनाओं का कार्यान्वयन तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कराया जायेगा, जिसके लिए प्रबंध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जांच-पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-01/माडा-25/2018 न०वि०आ०.....118.....

राँची, दिनांक.....24/10/18

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर/उपायुक्त, धनबाद/बोकारो/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/स्थानीय लेखा परीक्षक, महालेखाकार कार्यालय, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद कोषागार/श्री कुणाल कुमार, आई०टी०विशेषज्ञ को सूचना एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।